

प्रेषक,

आयुक्त,  
ग्राम्य विकास,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 1115 / कार्य० / डा०समग्र / पत्रावली स०-1 / 2012 दिनांक 27 मई, 2013

विषय: डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में संचालित कार्यक्रमों / योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के दिशा निर्देश के संबंध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-801 / 38-4-13-30 (विविध) / 2012 दिनांक 10-5-2013 जो समस्त मंडलायुक्त उ०प्र०, जिलाधिकारी उ०प्र०, को संबोधित एवं अन्य प्रति के साथ आयुक्त ग्राम्य विकास को पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों को संतृप्तीकरण हेतु ग्राम्य विकास के माध्यम से संचालित योजनाओं यथा- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आ०एल०एम०), ग्रामीण पेयजल योजना (स्वच्छ पेयजल आपूर्ति), तालाबों का जीर्णोद्धार, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आवास हीन को आवास (इदिन्रा आवास योजना, एवं लोहिया ग्रामीण आवास योजना) योजना की निर्धारित प्रारूप पर चिह्नित ग्रामों को संतृप्त करने हेतु ग्राम्य विकास विभाग के उक्त कार्यक्रम / योजनाओं के कार्यों के सम्पादन के लिए मानक के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उक्त शासनादेश के अनुसार बिन्दु में संख्या 3,4 व अन्य बिन्दुओं में दिये गये निर्देश के क्रम में विस्तृत कार्य-योजना का विवरण शासन तथा मुख्यालय को विशेष वाहक के माध्यम से सी०डी० तथा हार्ड कापी उपलब्ध कराई जाये।  
संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

(के० रविन्द्र नायक )

आयुक्त

ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: / कार्य० / डा०समग्र / पत्रावली स०-1 / 2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- विशेष सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-4 उ०प्र०शासन।
- 2- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त उ०प्र० को बिन्दु संख्या 7 व अन्य में दिये गये निर्देश के क्रम में सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 3- समस्त परियोजना निदेशक, उ०प्र० को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(के० रविन्द्र नायक )

आयुक्त

ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।